न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 168/2019 **दायर दिनांकः 19.11.2019**

उनवान

1. रामकुमार आयु 28 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. नवलकिशोर आयु 27 वर्ष पुत्र मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
2. भरतराज आयु 25 वर्ष पुत्र मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
3. संगीताबाई आयु 23 वर्ष पुत्री मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
4. समुन्द्राबाई आयु 50 वर्ष पत्नि मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
5. बाबूलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
6. बृजमोहन आयु 65 वर्ष पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

निर्णय

दिनांक 30/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल डडवाडा तहसील अटरू की खाता संख्या 100 की ख0नं0 38 रकबा 0.82 है0 कुल 1 किता रकबा 0.82 है0 आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादी का 2/6 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 5 का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी क्रम 6 का 2/6 हिस्सा दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी शामलाती खाते मे दर्ज होने के कारण आये दिन वाद विवाद

होता रहता है तथा विभाजन नही होने के कारण वादी कृषि विकास कार्य, नही करवा पाता हैं न ही सीमाज्ञान करवा कर हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त नही कर पाते हैं। अतः वादी वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी का हिस्सानुसार मय लगान खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाकर हिस्सा अनुसार सीमाज्ञान करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है विकल्प में हिस्सा एवं कब्जानुसार विभाजन करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। प्रतिवादी क्रम 7 राजस्थान सरकार भूमि धारक होने व राजस्व रिकार्ड संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 7 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है इसलिए उसको बिना 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिये बिना ही यह वाद प्रस्तुत किया गया हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। वाद कारण वादीगण द्वारा बार बार प्रतिवादीगण से खाता विभाजन की कहने पर टालम टोल करने व अन्तिम बार दिनांक 30.10.2019 को खाता विभाजन साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। पक्षकारान व विवाद ग्रस्त आराजी तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे कि :–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी का वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित हिस्से अनुसार मय लगान खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का एवं विकल्प मे कब्जानुसार विभाजन करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 7 को प्रदान किया जावें। तथा विभाजन के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर वादी को कब्जा सम्भलाने का आदेश भी प्रतिवादी क्रम 7 को प्रदान किया जावें।

(ब) यह कि अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की ओर निम्न इकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है किः– वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 3 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी हैं। अनुतोष वादी स्वीकार हैं।

अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार बटंवारा कर उसी अनुसार कब्जा सम्भलाने का आदेश प्रतिवादी क्रम 7 को प्रदान किया जावें।

वादी एवं प्रतिवादीगण निम्न राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 ने आपसी सहमति से पारवारिक बंटवारा निम्न प्रकार कर लिया हैः–

(1) अटरू से खानपुर रोड के लगवा वादी के 2/6 हिस्सा में रहेगी

(2) वादी के बाद 2/6 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 6 के रहेगी।

(3) उसके बाद 1/6 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 5 के रहेगी।

(4) उसके बाद 1/6 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के रहेगी।

जिसका नजरी नक्शा राजीनामा के साथ संलग्न हैं।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रर्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर नजरी नक्शा के अनुसार दावा डिक्री फरमाने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया बाद तस्दीक राजीनामा शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम डडवाडा की खाता संख्या 100 ख0नं0 38 रकबा 0.82 है0 भूमि दर्ज है। जिसमें वादी का 2/6 प्रतिवादी क्रम 1 ल

4 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी क्रम 5 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी क्रम 6 का 2/6 हिस्सा दर्ज है।

इकवाली जवाब दावा व राजीनामानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। सहमति अनुसार विवादित आराजी ग्राम डडवाडा की खाता संख्या 100 ख0नं0 0.82 है0 भूमि का विभाजन हिस्सेनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:—

1. वादी के खाते मे खानपुर रोड़ के लगवा का हिस्सा 2/6 रहेगा।
2. वादी के बाद प्रतिवादी क्रम 6 का 2/6 हिस्सा रहेगा।
3. उसके बाद प्रतिवादी क्रम 5 का 1/6 हिस्सा रहेगा।
4. उसके बाद प्रतिवादी क्रम 1 ल 4 का 1/6 हिस्सा रहेगा।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार पृथक पृथक खाता दर्ज करें। डिक्री पर्चा जारी हो हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 168/2019

उनवान

1. रामकुमार आयु 28 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. नवलकिशोर आयु 27 वर्ष पुत्र मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
2. भरतराज आयु 25 वर्ष पुत्र मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
3. संगीताबाई आयु 23 वर्ष पुत्री मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
4. समुन्द्राबाई आयु 50 वर्ष पत्नि मथूरालाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
5. बाबूलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू
6. बृजमोहन आयु 65 वर्ष पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X.........................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम डडवाडा की खाता संख्या 100 ख0नं0 0.82 है0 भूमि का विभाजन हिस्सेनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. वादी के खाते मे खानपुर रोड़ के लगवा का हिस्सा 2/6 रहेगा।
2. वादी के बाद प्रतिवादी कम 6 का 2/6 हिस्सा रहेगा।
3. उसके बाद प्रतिवादी कम 5 का 1/6 हिस्सा रहेगा।
4. उसके बाद प्रतिवादी कम 1 ल 4 का 1/6 हिस्सा रहेगा।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार पृथक पृथक खाता दर्ज करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:27:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: